



TRUST IS OUR TRADEMARK

आरकेपी फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड

अपने ग्राहक मानदंडों को जानें (केवाईसी)

संस्करण नियंत्रण		
द्वारा प्रस्तावित:	विवरण	अनुमोदन प्राधिकरण
संचालन टीम	अप्रैल 2026	निदेशक मंडल

TRUST IS OUR TRADEMARK

परिचय

‘नो योर कस्टमर’ (केवाईसी) दिशा-निर्देशों का एक समूह है जिसका उद्देश्य बैंकों, वित्तीय संस्थानों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों जैसी अन्य संस्थाओं/कंपनियों को वित्तीय धोखाधड़ी करने, आपराधिक गतिविधि से प्राप्त निधियों के हस्तांतरण या जमा करने या आतंकवाद के वित्तपोषण के लिए आपराधिक तत्वों द्वारा जानबूझकर या अनजाने में उपयोग किए जाने से रोकना है। केवाईसी प्रक्रियाएं बैंकों को अपने ग्राहकों और उनके वित्तीय लेनदेन को बेहतर ढंग से जानने/समझने में सक्षम बनाती हैं जो बदले में उन्हें अपने जोखिमों को विवेकपूर्ण तरीके से प्रबंधित करने में मदद करती हैं। यह नीति दस्तावेज भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ-साथ हमारी कंपनी द्वारा खाताधारक/ग्राहक की उचित पहचान के लिए जारी किए गए विभिन्न दिशानिर्देशों का समेकन है।

उद्देश्य

1. ग्राहकों की स्वीकृति के लिए स्पष्ट मानदंड निर्धारित करना।
2. खाताधारक/ग्राहक बनने से पहले व्यक्तियों/गैर-व्यक्तियों की वास्तविक पहचान को सत्यापित करने के लिए प्रक्रियाएं स्थापित करना।
3. कंपनी को ग्राहकों और उनके वित्तीय लेन-देन को बेहतर ढंग से जानने/समझने में सक्षम बनाने के लिए, जो बदले में कंपनी को जोखिमों को विवेकपूर्ण ढंग से प्रबंधित करने में मदद करेगा।
4. ग्राहकों के संबंध में उचित परिश्रम करने और ऐसे लेनदेन की रिपोर्टिंग के लिए उपाय विकसित करना।
5. लागू कानूनों और नियामक दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए।
6. यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाना कि संबंधित कर्मचारियों को केवाईसी/एएमएल प्रक्रियाओं में पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित किया गया है।
7. आपराधिक तत्वों को मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों के लिए कंपनी का उपयोग करने से रोकना।

कार्यक्षेत्र

यह नीति कंपनी की सभी शाखाओं और अन्य सभी कार्यालयों पर लागू होती है।

परिभाषाएं

इस नीति के उद्देश्य के लिए एक "ग्राहक" को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

1. एक व्यक्ति या एक इकाई जो एक खाता बनाए रखता है और/या कंपनी के साथ व्यावसायिक संबंध रखता है।

2. जिसकी ओर से खाता रखा जाता है यानी लाभकारी स्वामी।
3. पेशेवर मध्यस्थों जैसे स्टॉक ब्रोकर, चार्टर्ड एकाउंटेंट, सॉलिसिटर आदि द्वारा किए गए लेनदेन के लाभार्थी, जैसा कि कानून के तहत अनुमति दी गई है, और
4. वित्तीय लेन-देन से जुड़ा कोई व्यक्ति या संस्था।

मनी लॉन्ड्रिंग

धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 की धारा 3 में "मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध" को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

"जो कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होने या जानबूझकर सहायता करने का प्रयास करता है या जानबूझकर एक पक्ष है या वास्तव में आय या अपराध से जुड़ी किसी भी प्रक्रिया या गतिविधि में शामिल है और इसे बेदाग संपत्ति के रूप में पेश करता है, वह मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध का दोषी होगा"।

अपने ग्राहक मानकों को जानें

कंपनी की संशोधित केवाईसी नीति में निम्नलिखित चार तत्व शामिल हैं:

1. ग्राहक स्वीकृति नीति (CAP)
2. ग्राहक पहचान प्रक्रियाएं (सीआईपी)
3. लेन-देन की निगरानी; तथा
4. जोखिम प्रबंधन

1. ग्राहक स्वीकृति नीति (CAP)

ग्राहकों की स्वीकृति के मानदंडों को इंगित करने वाली निम्नलिखित ग्राहक स्वीकृति नीति का कंपनी में पालन किया जाएगा। शाखाएं उक्त नीति के अनुसार ग्राहक को सख्ती से स्वीकार करेंगी:

1. कंपनी के पास प्रारंभिक चरण में नए ग्राहकों और पूर्व निर्धारित अवधि में मौजूदा ग्राहकों के बारे में व्यापक जानकारी प्राप्त करने के लिए एक विस्तृत मानक होगा, जिससे कंपनी के साथ क्रेडिट खाते खोलने वाले ग्राहकों की बोनाफाइड की स्थापना होगी।

2. कंपनी कथित जोखिम के आधार पर और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए ग्राहकों की विभिन्न श्रेणियों के संबंध में एकत्र की जाने वाली दस्तावेज़ आवश्यकताओं और अन्य जानकारी को स्पष्ट रूप से लिखेगी/बताएगी जैसे व्यावसायिक गतिविधि की प्रकृति, ग्राहक और उसके ग्राहकों का स्थान, भुगतान का तरीका,

कारोबार की मात्रा, सामाजिक और वित्तीय स्थिति आदि।

3. कंपनी अनाम/काल्पनिक/बेनामी व्यक्तियों के नाम पर खाते नहीं खोलेगी।

4. कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि जिस परिस्थिति में एक ग्राहक को किसी अन्य व्यक्ति/संस्था की ओर से कार्य करने की अनुमति दी जाती है, वह स्पष्ट रूप से बैंकिंग के स्थापित कानून और अभ्यास के अनुरूप होगी क्योंकि ऐसे अवसर हो सकते हैं जब कोई खाता एक जनादेश धारक द्वारा संचालित किया जाता है या जहां एक खाता एक मध्यस्थ द्वारा खोला जाता है।

5. कथित जोखिम के आधार पर और पीएमएल अधिनियम, 2002 की आवश्यकताओं और रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए ग्राहकों की विभिन्न श्रेणियों के संबंध में एकत्र की जाने वाली प्रलेखन आवश्यकताएं और अन्य जानकारी;

6. कंपनी एक खाता नहीं खोलेगी या एक मौजूदा खाता बंद नहीं करेगी जहां कंपनी उचित ग्राहक उचित परिश्रम उपायों को लागू करने में असमर्थ है, अर्थात्, कंपनी ग्राहक के असहयोग या कंपनी को प्रस्तुत डेटा/जानकारी की गैर-विश्वसनीयता के कारण जोखिम वर्गीकरण के अनुसार आवश्यक दस्तावेज सत्यापित करने और/या प्राप्त करने में असमर्थ है। ग्राहक के उत्पीड़न से बचने के लिए उपयुक्त अंतर्निहित सुरक्षा उपायों का होना आवश्यक होगा। उदाहरण के लिए, किसी खाते को बंद करने का निर्णय ग्राहक को इस तरह के निर्णय के कारणों को समझाते हुए उचित सूचना देने के बाद उचित रूप से उच्च स्तर पर लिया जाएगा;

जिन परिस्थितियों में ग्राहक को किसी अन्य व्यक्ति/संस्था की ओर से कार्य करने की अनुमति दी जाती है, उन्हें बैंकिंग के स्थापित कानून और व्यवहार के अनुरूप स्पष्ट रूप से बताया जाएगा क्योंकि ऐसे अवसर होंगे जब कोई खाता किसी अधिदेशित धारक द्वारा संचालित किया जाता है या जहां एक खाता किसी मध्यस्थ द्वारा न्यासी क्षमता में खोला जाएगा।

7. कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि क्रेडिट खाता खोलने से पहले यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त जांच की जाए कि ग्राहक की पहचान ज्ञात आपराधिक पृष्ठभूमि वाले किसी भी व्यक्ति या व्यक्तिगत आतंकवादी या आतंकवादी संगठनों जैसी प्रतिबंधित संस्थाओं से मेल नहीं खाती है।

8. कंपनी जोखिम वर्गीकरण के आधार पर प्रत्येक नए ग्राहक के लिए एक प्रोफाइल तैयार करेगी। ग्राहक प्रोफाइल में ग्राहक की पहचान, सामाजिक/वित्तीय स्थिति, व्यावसायिक गतिविधि की प्रकृति, उसके ग्राहकों के व्यवसाय और उनके स्थान आदि के बारे में जानकारी शामिल हो सकती है। उचित परिश्रम की प्रकृति और सीमा कंपनी द्वारा देखे गए जोखिम पर निर्भर करेगी। हालांकि, ग्राहक प्रोफाइल तैयार करते समय कंपनी ग्राहक से केवल ऐसी जानकारी प्राप्त करने का ध्यान रखेगी जो जोखिम श्रेणी के लिए प्रासंगिक हो और दखल देने वाली न हो। ग्राहक प्रोफाइल एक गोपनीय दस्तावेज होगा और उसमें निहित विवरण क्रॉस सेलिंग या किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रकट नहीं किया जाएगा।

9. जोखिम वर्गीकरण के उद्देश्य से, व्यक्तियों (उच्च निवल मूल्य के अलावा) और संस्थाएं जिनकी पहचान और धन के स्रोतों की आसानी से पहचान की जा सकती है और जिनके खातों में लेन-देन ज्ञात प्रोफाइल के अनुरूप हैं, उन्हें कम जोखिम के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। कम जोखिम वाले ग्राहकों के उदाहरण वेतनभोगी कर्मचारी होंगे जिनकी वेतन संरचना अच्छी तरह से परिभाषित है, समाज के निचले आर्थिक तबके से संबंधित लोग जिनके खाते में छोटी शेष राशि और कम कारोबार दिखाया गया है, सरकारी विभाग और सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियां, नियामक और वैधानिक निकाय आदि। ऐसे मामलों में, पॉलिसी के लिए यह आवश्यक हो सकता है कि ग्राहक की पहचान और स्थान को सत्यापित करने की केवल बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा किया जाए। जिन ग्राहकों से बैंक के लिए औसत से अधिक जोखिम होने की संभावना होती है, उन्हें ग्राहक की पृष्ठभूमि, गतिविधि की प्रकृति और स्थान, मूल देश, धन के स्रोतों और उसके ग्राहक प्रोफाइल आदि के आधार पर मध्यम या उच्च जोखिम के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। बैंक जोखिम मूल्यांकन के आधार पर उन्नत उचित परिश्रम उपायों को लागू कर सकते हैं, जिससे उच्च जोखिम वाले ग्राहकों, विशेष रूप से उन ग्राहकों के लिए गहन 'उचित परिश्रम' की आवश्यकता होती है, जिनके लिए धन के स्रोत स्पष्ट नहीं हैं।

10 उच्च परिश्रम की आवश्यकता वाले ग्राहकों के उदाहरणों में शामिल हो सकते हैं: -

- अनिवासी ग्राहक,
- उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्ति,
- ट्रस्ट, दान, गैर सरकारी संगठन और दान प्राप्त करने वाले संगठन,
- करीबी पारिवारिक शेयरधारिता या लाभकारी स्वामित्व वाली कंपनियां,
- 'स्लीपिंग पार्टनर्स' वाली फर्म,
- विदेशी मूल के राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति (पीईपी),
- ग्राहकों का सामना करने के लिए आमने-सामने, और
- उपलब्ध सार्वजनिक सूचना के अनुसार संदिग्ध प्रतिष्ठा वाले लोग, आदि।

11. ग्राहक स्वीकृति नीति को अपनाना और इसका कार्यान्वयन बहुत अधिक प्रतिबंधात्मक नहीं होगा और कंपनी आम जनता, विशेष रूप से उन लोगों को असुविधा नहीं पहुंचाने का प्रयास करेगी जो वित्तीय या सामाजिक रूप से वंचित हैं।

ग्राहक पहचान प्रक्रिया (सीआईपी)

पहचान यह स्थापित करने का एक कार्य है कि कोई व्यक्ति कौन है। केवाईसी के संदर्भ में, इसका अर्थ है कि कोई व्यक्ति कौन होने का दावा करता है और इसमें ग्राहक की पहचान

करना और विश्वसनीय और स्वतंत्र स्रोत दस्तावेजों, डेटा या जानकारी का उपयोग करके उसकी पहचान सत्यापित करना शामिल होगा। इस प्रयोजन के लिए, कंपनी प्रत्येक नए ग्राहक की पहचान को अपनी संतुष्टि के लिए स्थापित करने के लिए आवश्यक पर्याप्त जानकारी प्राप्त करेगी, चाहे वह नियमित हो या सामयिक और रिश्ते की इच्छित प्रकृति का उद्देश्य।

संतुष्ट होने का मतलब है कि कंपनी को सक्षम अधिकारियों को संतुष्ट करने में सक्षम होना चाहिए कि मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुपालन में ग्राहक के जोखिम प्रोफाइल के आधार पर उचित परिश्रम का पालन किया गया था। कंपनी के लिए अनुपातहीन लागत और ग्राहकों के लिए एक बोझिल व्यवस्था से बचने के लिए इस तरह के जोखिम-आधारित दृष्टिकोण को आवश्यक माना जाता है।

पहचान के लिए सत्यापित किया जाता है:

- नामित खाताधारक
- लाभकारी मालिक का
- किसी खाते पर हस्ताक्षरकर्ता और
- मध्यवर्ती पार्टियां।

1. व्यक्तियों के खाते

ग्राहकों के मामले में जो प्राकृतिक व्यक्ति हैं, कंपनी को सत्यापित करने के लिए पर्याप्त पहचान डेटा प्राप्त होगा

(अ) ग्राहक की पहचान

(आ) उसका पता/स्थान और

(इ) उसकी हालिया तस्वीर। मौजूदा ग्राहकों और नए संभावित ग्राहकों की वास्तविक पहचान और प्रामाणिकता, कंपनी के साथ क्रेडिट खाते खोलना और बुनियादी पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करना सबसे महत्वपूर्ण होगा।

2. व्यक्तिगत खातों के अलावा अन्य

उन ग्राहकों के लिए जो कानूनी व्यक्ति या संस्थाएं हैं, कंपनी करेगी

(1) उचित और प्रासंगिक दस्तावेजों के माध्यम से कानूनी व्यक्ति/संस्था की कानूनी स्थिति को सत्यापित करें, (2) सत्यापित करें कि कानूनी व्यक्ति/संस्था की ओर से कार्य करने का इरादा रखने वाला कोई भी व्यक्ति इतना अधिकृत है और उस व्यक्ति की पहचान और सत्यापन करें,

(3) ग्राहक के स्वामित्व और नियंत्रण संरचना को समझें और निर्धारित करें कि प्राकृतिक व्यक्ति कौन हैं जो अंततः कानूनी व्यक्ति को नियंत्रित करते हैं।

केवाईसी मानदंडों के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप जनता को सेवाओं (क्रेडिट खाता खोलने सहित) से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, विशेष रूप से उन लोगों को जो वित्तीय या सामाजिक रूप से वंचित हैं। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में निम्न आय वर्ग को केवल इस कारण से सेवाओं से वंचित नहीं किया जाना चाहिए कि वे अपनी पहचान और पते के बारे में कंपनी को संतुष्ट करने के लिए दस्तावेज प्रस्तुत करने में असमर्थ हैं।

3. कंपनियों और फर्मों के खाते

शाखाओं को बैंकों के साथ खातों को बनाए रखने के लिए व्यक्तियों द्वारा 'फ्रंट' के रूप में इस्तेमाल की जा रही व्यावसायिक संस्थाओं के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता है। शाखाओं को इकाई की नियंत्रण संरचना की जांच करनी चाहिए, धन के स्रोत का निर्धारण करना चाहिए और उन प्राकृतिक व्यक्तियों की पहचान करनी चाहिए जिनके पास नियंत्रण हित है और जो प्रबंधन में शामिल हैं। इन आवश्यकताओं को जोखिम धारणा के अनुसार नियंत्रित किया जा सकता है, उदाहरण के लिए, एक सार्वजनिक कंपनी के मामले में, सभी शेयरधारकों की पहचान करना आवश्यक नहीं होगा। लेकिन कम से कम प्रमोटरों, निदेशकों और इसके अधिकारियों की पर्याप्त रूप से पहचान करने की आवश्यकता है।

4. भारत के बाहर रहने वाले राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्तियों (पीईपी) के खाते

राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति वे व्यक्ति होते हैं जिन्हें किसी विदेशी देश में प्रमुख सार्वजनिक कार्यों के साथ सौंपा गया है या सौंपा गया है, उदाहरण के लिए, राज्यों या सरकारों के प्रमुख, वरिष्ठ राजनेता, वरिष्ठ सरकारी / न्यायिक / सैन्य अधिकारी, राज्य के स्वामित्व वाले निगमों के वरिष्ठ अधिकारी, महत्वपूर्ण राजनीतिक दल के अधिकारी, आदि। शाखाओं को इस श्रेणी के किसी भी व्यक्ति/ग्राहक के बारे में पर्याप्त जानकारी एकत्र करनी चाहिए जो संबंध स्थापित करने के इच्छुक हों और सार्वजनिक डोमेन में व्यक्ति के बारे में उपलब्ध सभी सूचनाओं की जांच करें। शाखाओं को ग्राहक के रूप में पीईपी को स्वीकार करने से पहले व्यक्ति की पहचान सत्यापित करनी चाहिए और धन के स्रोतों के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। शाखाओं को पीईपी के नाम पर खाता खोलने के लिए अपने संबंधित क्रेडिट प्रमुखों से पूर्व अनुमोदन लेना चाहिए।

5. मालिकाना चिंताओं के खाते

मालिक पर लागू ग्राहक पहचान प्रक्रिया पर मौजूदा दिशानिर्देशों का पालन करने के अलावा, कंपनी को मालिकाना कंपनी के नाम पर खाते खोलने से पहले निम्नलिखित दस्तावेजों को कॉल करना चाहिए और सत्यापित करना चाहिए:

संबंधित व्यक्ति के नाम, पते और गतिविधि का प्रमाण, जैसे उद्यम पंजीकरण प्रमाण पत्र (पंजीकृत कंपनी के मामले में), दुकान और स्थापना अधिनियम के तहत नगर निगम अधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण पत्र/लाइसेंस, बिक्री और आयकर रिटर्न, सीएसटी/वैट प्रमाण पत्र, बिक्री कर/सेवा कर/व्यावसायिक कर अधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण पत्र/पंजीकरण दस्तावेज, पंजीकरण प्राधिकरण द्वारा जारी लाइसेंस जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, इंडियन मेडिकल काउंसिल, फूड एंड ड्रग कंट्रोल अथॉरिटीज द्वारा जारी किए गए सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जैसे सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ इंडिया, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के प्राधिकरण/विभाग द्वारा मालिकाना कंपनी के नाम पर जारी किए गए पंजीकरण/लाइसेंसिंग दस्तावेज। कंपनी डीजीएफटी के कार्यालय द्वारा मालिकाना कंपनी को जारी आईईसी (आयातक निर्यातक कोड), एकमात्र मालिक के नाम पर पूर्ण आयकर रिटर्न (न केवल पावती ही) भी स्वीकार कर सकती है, जहां फर्म की आय परिलक्षित होती है, आयकर प्राधिकारियों द्वारा विधिवत प्रमाणित/स्वीकार की जाती है और बिजली, पानी, (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और मालिकाना कंपनियों के बैंक खाते खोलने के लिए आवश्यक दस्तावेजों के रूप में मालिकाना कंपनी के नाम पर लैंडलाइन टेलीफोन बिल।

उपरोक्त दस्तावेजों में से कोई भी दो पर्याप्त होंगे। ये दस्तावेज मालिकाना कंपनी के नाम पर होने चाहिए।

क्रेडिट सुविधाओं पर गारंटर प्राप्त करना

कंपनी आम तौर पर एक ज्ञात व्यक्ति (जो किसी विशेष क्रेडिट सुविधा के लिए गारंटर बन जाता है) द्वारा "गारंटी" पर जोर देती है। किसी ज्ञात व्यक्ति से गारंटी प्राप्त करना किसी व्यक्ति की पहचान और व्यावसायिक संबंध स्थापित करने के लिए उसकी स्वीकार्यता का पता लगाने और क्रेडिट खाता खोलने से पहले इच्छुक ग्राहक की वास्तविक पहचान की पुष्टि करने की एक प्रक्रिया है। इसके अलावा, गारंटर क्रेडिट सुविधाओं के लिए कंपनी के लिए ग्राहक के परिचयकर्ता के रूप में भी कार्य करता है।

गारंटर की देनदारियां

गारंटर ग्राहक द्वारा क्रेडिट सुविधाओं के पुनर्भुगतान के लिए कंपनी के लिए कानूनी रूप से जिम्मेदार है और जरूरत पड़ने पर खाताधारक की पहचान करने/उसका पता लगाने की स्थिति में होने की उम्मीद है।

गारंटी प्रदान करने की प्रक्रिया

गारंटर को ऋण समझौते के प्रपत्र में प्रदान किए गए विभिन्न स्थानों पर ग्राहक के साथ किए गए समझौते पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होगी।

गारंटर को आम तौर पर समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए कंपनी की शाखा का दौरा करना होगा। हालांकि, यह अनिवार्य नहीं होना चाहिए।

खातों को बंद करना

जहां कंपनी ग्राहक द्वारा जानकारी प्रस्तुत नहीं करने और/या असहयोग के कारण उचित केवाईसी उपायों को लागू करने में असमर्थ है, कंपनी ग्राहक को इस तरह के निर्णय लेने के कारणों को समझाते हुए उचित नोटिस जारी करने के बाद खाता बंद करने या बैंकिंग/व्यावसायिक संबंध समाप्त करने पर विचार करेगी। इस तरह के निर्णय यथोचित वरिष्ठ स्तर पर लिए जाएंगे।

2. लेन-देन की निगरानी

चल रही निगरानी प्रभावी केवाईसी प्रक्रियाओं का एक अनिवार्य तत्व है। कंपनी अपने जोखिम को प्रभावी ढंग से तभी नियंत्रित और कम कर सकती है जब उन्हें ग्राहक की सामान्य और उचित गतिविधि की समझ हो ताकि उनके पास गतिविधि के नियमित पैटर्न से बाहर आने वाले लेनदेन की पहचान करने के साधन हों। हालांकि, निगरानी की सीमा ग्राहक के साथ जुड़ी जोखिम संवेदनशीलता पर निर्भर करेगी। कंपनी सभी जटिल, असामान्य रूप से बड़े लेनदेन और सभी असामान्य पैटर्न पर विशेष ध्यान देगी जिनका कोई स्पष्ट आर्थिक या दृश्यमान वैध उद्देश्य नहीं है।

कंपनी ग्राहकों की एक विशेष श्रेणी के लिए थ्रेशोल्ड सीमा निर्धारित करेगी और उन लेनदेन पर विशेष ध्यान देगी जो इन सीमाओं से अधिक हैं, ऐसे लेनदेन जिनमें ग्राहक की सामान्य और अपेक्षित गतिविधि के साथ असंगत बड़ी मात्रा में नकदी शामिल है, विशेष रूप से कंपनी का ध्यान आकर्षित करेगा। इसके अलावा, ऐसे कोई ऑपरेटिव खाते नहीं हैं जहां व्यक्तिगत लेनदेन और समुच्चय के लिए थ्रेशोल्ड सीमा तय करने की आवश्यकता अधिक प्रासंगिक और आवश्यक है। कंपनी के सभी ऋण सभी श्रेणियों के उधारकर्ताओं पर ईएमआई आधारित ऋण हैं। इसलिए कंपनी के साथ लेन-देन पूरी तरह से लोन की अवधि पर देय ईएमआई तक ही सीमित होगा। इसलिए जबकि ट्रांजेक्शनल आधार के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट देय ईएमआई तक ही सीमित है, टर्नओवर की सीमा साल दर साल देय कुल ईएमआई तक सीमित होगी। ब्याज के साथ ऋण की अदायगी के अलावा कोई अन्य लेन-देन ग्राहक द्वारा कंपनी के साथ नहीं किया जाता है।

स्थायी सही पते का अर्थ उस पते से होगा जिस पर कोई व्यक्ति आमतौर पर रहता है और ग्राहक के पते के सत्यापन के लिए कंपनी द्वारा स्वीकार किए गए उपयोगिता बिल या किसी अन्य दस्तावेज में उल्लिखित पते के रूप में लिया जा सकता है। यदि उपयोगिता बिल ग्राहक के नाम पर नहीं है, लेकिन करीबी रिश्तेदार: पत्नी, बेटा, बेटी और माता-पिता आदि हैं जो अपने पति, पिता/माता और पुत्र के साथ रहते हैं, तो कंपनी एक पहचान दस्तावेज और उस रिश्तेदार का एक उपयोगिता बिल प्राप्त करेगी जिसके साथ संभावित ग्राहक रह रहा है, रिश्तेदार से एक घोषणा के साथ कि उक्त व्यक्ति (संभावित ग्राहक) एक रिश्तेदार है और उसके साथ रह रहा है। कंपनी पते के आगे सत्यापन के लिए डाक के माध्यम से प्राप्त पत्र जैसे किसी भी पूरक साक्ष्य का उपयोग करेगी।

इस विषय पर शाखाओं को प्रचालनात्मक अनुदेश जारी करते समय, कंपनी रिज़र्व बैंक द्वारा

जारी किए गए अनुदेशों की भावना को ध्यान में रखेगी और उन व्यक्तियों को अनुचित कठिनाइयों से बचाएगी, जिन्हें अन्यथा कम जोखिम वाले ग्राहकों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

कंपनी खातों के जोखिम वर्गीकरण की आवधिक समीक्षा की एक प्रणाली स्थापित करेगी और ग्राहक पर उच्च जोखिम धारणा के मामले में बढ़े हुए उचित परिश्रम उपायों को लागू करने की आवश्यकता होगी। ग्राहकों के जोखिम वर्गीकरण की समीक्षा छह महीने में कम से कम एक बार की आवधिक अवधि पर की जाएगी। कंपनी खाता खोलने के बाद ग्राहक पहचान डेटा (फोटोग्राफ सहित) के समय-समय पर अद्यतन करने की एक प्रणाली भी शुरू करेगी। कम जोखिम वाली श्रेणी के ग्राहकों के मामले में इस तरह के अद्यतन की अवधि पांच वर्षों में एक बार से कम नहीं होगी और उच्च और मध्यम जोखिम श्रेणियों के मामले में दो वर्षों में एक बार से कम नहीं होगी।

3. जोखिम प्रबंधन

कंपनी का निदेशक मंडल यह सुनिश्चित करेगा कि उचित प्रक्रियाओं को स्थापित करके और उनके प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करके एक प्रभावी केवाईसी कार्यक्रम लागू किया जाए। इसमें उचित प्रबंधन निरीक्षण, प्रणाली और नियंत्रण, कर्तव्यों का पृथक्करण, प्रशिक्षण और अन्य संबंधित मामले शामिल होंगे। यह सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के भीतर जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से आवंटित की जाएगी कि कंपनी की नीतियों और प्रक्रियाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। कंपनी अपने बोर्ड के परामर्श से अपने मौजूदा और नए ग्राहकों के जोखिम प्रोफाइल बनाने के लिए प्रक्रियाएं तैयार करेगी और लेनदेन, खाते या व्यावसायिक संबंधों में शामिल जोखिमों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न धन शोधन रोधी उपायों को लागू करेगी।

कंपनी के पास एक चल रहे कर्मचारी प्रशिक्षण कार्यक्रम है ताकि स्टाफ के सदस्यों को केवाईसी प्रक्रियाओं में पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित किया जा सके। प्रशिक्षण आवश्यकताओं में फ्रंटलाइन स्टाफ, अनुपालन स्टाफ और नए ग्राहकों से निपटने वाले कर्मचारियों के लिए अलग-अलग फोकस होंगे। यह महत्वपूर्ण है कि सभी संबंधित लोग केवाईसी नीतियों के पीछे के तर्क को पूरी तरह से समझें और उन्हें लगातार लागू करें।

आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला

पीएमएलए नियमों के अनुसार, संदिग्ध लेन-देन में अन्य बातों के साथ-साथ ऐसे लेन-देन शामिल होंगे जो संदेह के उचित आधार को जन्म देते हैं कि इनमें आतंकवाद से संबंधित गतिविधियों का वित्तपोषण शामिल हो सकता है। इसलिए, कंपनी आतंकवादियों से संबंध रखने के संदेह वाले खातों की निगरानी बढ़ाने और लेन-देन की त्वरित पहचान करने और प्राथमिकता के आधार पर वित्तीय आसूचना एकक-भारत (एफआईयू-आईएनडी) को उपयुक्त रिपोर्ट देने के लिए उपयुक्त नीतिगत ढांचे के माध्यम से उपयुक्त तंत्र विकसित करेगी।

जब कभी भी रिज़र्व बैंक द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विभिन्न प्रस्तावों (यूएनएससीआर)

के अनुसरण में स्थापित सुरक्षा परिषद समिति द्वारा अनुमोदित व्यक्तियों और संस्थाओं की सूची परिचालित की जाती है, तो कंपनी रिज़र्व बैंक द्वारा परिचालित व्यक्तियों और संस्थाओं की समेकित सूची को अद्यतन करना सुनिश्चित करेगी। कंपनी किसी भी नया खाता खोलने से पहले यह सुनिश्चित करेगी कि प्रस्तावित ग्राहक का नाम सूची में दिखाई न दे। इसके अलावा, कंपनी यह सुनिश्चित करने के लिए सभी मौजूदा खातों को स्कैन करेगी कि सूची में शामिल किसी भी संस्था या व्यक्ति द्वारा कोई खाता नहीं रखा गया है या उससे जुड़ा हुआ नहीं है। सूची में किसी भी व्यक्ति/संस्था से मिलते-जुलते खातों का पूरा विवरण तुरंत भारतीय रिज़र्व बैंक और एफआईयू-आईएनडी को सूचित किया जाएगा। केवाईसी मानदंड/एएमएल मानक/सीएफटी उपाय निर्धारित किए गए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अपराधियों को वित्तीय चैनलों का दुरुपयोग करने की अनुमति न दी जाए। कर्मियों की भर्ती/भर्ती प्रक्रिया के अभिन्न अंग के रूप में कंपनी द्वारा पर्याप्त जांच तंत्र स्थापित किया जाएगा।

नकद और संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट

अ. नकद लेनदेन रिपोर्ट (CTR)

धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अनुसार, कंपनी नकद और संदिग्ध लेनदेन से संबंधित जानकारी निदेशक, वित्तीय खुफिया इकाई-भारत (एफआईयू-आईएनडी) को देगी।

एकीकृत रूप से जुड़े नकद लेनदेन का निर्धारण करने के लिए, एनबीएफसी एक कैलेंडर महीने के दौरान एक खाते में सभी व्यक्तिगत नकद लेनदेन को ध्यान में रखेगी, जहां डेबिट या क्रेडिट योग, अलग से गणना की जाती है, महीने के दौरान पचास हजार रुपये से अधिक या उसके बराबर होती है।

सीटीआर में बैंक के आंतरिक खातों के बीच लेनदेन को छोड़कर केवल कंपनी द्वारा अपने ग्राहकों/ग्राहकों की ओर से किए गए लेनदेन शामिल होने चाहिए। बैंक के लिए नकद लेनदेन रिपोर्ट का सारांश कंपनी के प्रधान अधिकारी द्वारा हर महीने निर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार भौतिक रूप में संकलित किया जाना चाहिए। सारांश पर प्रधान अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए और एफआईयू-इंडिया को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

आ. संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर)

संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर) इस निष्कर्ष पर पहुंचने के 7 दिनों के भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिए कि कोई भी लेनदेन, चाहे वह नकद हो या गैर-नकद, या एकीकृत रूप से जुड़े लेनदेन की एक श्रृंखला संदिग्ध प्रकृति की है। कंपनी का प्रधान अधिकारी किसी भी लेनदेन या लेनदेन की एक श्रृंखला को संदिग्ध मानने के लिए अपने कारणों को दर्ज करेगा। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कंपनी या किसी अन्य शाखा कार्यालय से संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद इस तरह के निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई अनुचित देरी न हो। इस तरह की रिपोर्ट अनुरोध पर सक्षम अधिकारियों को उपलब्ध कराई जाएगी।

इसके अलावा, कंपनी उन खातों में परिचालन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगी जहां एसटीआर बनाया गया है। कंपनी और उसके कर्मचारी एसटीआर प्रस्तुत करने के तथ्य को पूरी तरह से गोपनीय रखेंगे, जैसा कि पीएमएल नियमों के तहत आवश्यक है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी भी स्तर पर ग्राहक को कोई जानकारी न हो।

लेन-देन के अभिलेखों का रखरखाव/संरक्षित की जाने वाली सूचना/रिकॉर्ड/नकद और संदिग्ध लेन-देन का रखरखाव और परिरक्षण वित्तीय आसूचना इकाई-भारत (एफआईयू-आईएनडी) को रिपोर्ट करना

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग ने भारत के राजपत्र में दिनांक 1 जुलाई, 2005 की अपनी अधिसूचना के तहत धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत नियमों को अधिसूचित किया है। उक्त नियमों के अनुसार, पीएमएलए 2002 के प्रावधान 1 जुलाई, 2005 से लागू हुए। पीएमएलए 2002 की धारा 12 में ग्राहक खाते की सूचना के परिरक्षण और सूचना देने के संबंध में बैंकिंग कंपनियों पर कुछ दायित्व निर्धारित किए गए हैं।

1 लेन-देन के रिकॉर्ड का रखरखाव

कंपनी पीएमएल नियम, 2005 के नियम 3 के तहत निर्धारित लेनदेन का उचित रिकॉर्ड बनाए रखेगी, जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है:

अ) दस लाख रुपये से अधिक मूल्य के सभी नकद लेनदेन या विदेशी मुद्रा में इसके समकक्ष;

आ) नकद लेनदेन की सभी श्रृंखलाएं एकीकृत रूप से एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं, जिनका मूल्य दस लाख रुपये से कम या विदेशी मुद्रा में इसके समकक्ष है, जहां लेनदेन की ऐसी श्रृंखला एक महीने के भीतर हुई है और ऐसे लेनदेन का कुल मूल्य दस लाख रुपये से अधिक है;

इ) दस लाख रुपये से अधिक मूल्य के गैर-लाभकारी संगठनों द्वारा प्राप्तियों या विदेशी मुद्रा में इसके समकक्ष प्राप्तियों वाले सभी लेनदेन;

ई) सभी नकद लेनदेन, जहां जाली या जाली करेंसी नोटों या बैंक नोटों का उपयोग वास्तविक के रूप में किया गया है और जहां किसी मूल्यवान प्रतिभूति या दस्तावेज की कोई जालसाजी हुई है, लेनदेन को सुविधाजनक बनाने के लिए और

उ) सभी संदिग्ध लेन-देन चाहे वे नकद में किए गए हों या न हों और नियमों में उल्लिखित के माध्यम से किए गए हों।

2 संरक्षित की जाने वाली जानकारी

कंपनी निम्नलिखित जानकारी सहित व्यक्तिगत लेनदेन के पुनर्निर्माण की अनुमति देने के लिए नियम 3 में निर्दिष्ट लेनदेन के संबंध में सभी आवश्यक जानकारी बनाए रखेगी:

- i. लेन-देन की प्रकृति;
- ii. लेन-देन की राशि और मुद्रा जिसमें इसे मूल्यवर्ग किया गया था;
- iii. जिस तारीख को लेनदेन किया गया था; तथा
- iv. लेन-देन के पक्ष

3. अभिलेखों का रखरखाव और संरक्षण

कंपनी उपरोक्त नियम 3 में विस्तृत लेनदेन के रिकॉर्ड सहित सभी लेनदेन की जानकारी वाले रिकॉर्ड को बनाए रखेगी। कंपनी को खाता जानकारी के उचित रखरखाव और संरक्षण के लिए एक प्रणाली विकसित करने के लिए भी उचित कदम उठाने चाहिए जो सक्षम अधिकारियों द्वारा अनुरोध किए जाने पर डेटा को आसानी से और जल्दी से प्राप्त करने की अनुमति देता है

इसके अलावा, 15 फरवरी, 2013 को अधिसूचित पीएमएल संशोधन अधिनियम 2012 के अनुसार, कंपनी को बैंक और ग्राहक के बीच लेनदेन की तारीख से कम से कम पांच साल तक घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के लेनदेन के सभी आवश्यक रिकॉर्ड बनाए रखने चाहिए, जो व्यक्तिगत लेनदेन के पुनर्निर्माण की अनुमति देगा (यदि कोई हो, तो मुद्रा की मात्रा और प्रकार सहित) ताकि प्रदान किया जा सके, यदि आवश्यक हो, तो आपराधिक गतिविधि में शामिल व्यक्तियों के अभियोजन के लिए साक्ष्य।

कंपनी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि खाता खोलते समय और व्यावसायिक संबंधों के दौरान प्राप्त ग्राहक की पहचान और उसके पते (उदाहरण के लिए, पासपोर्ट, पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, उपयोगिता बिल आदि जैसे दस्तावेजों की प्रतियां) नियमों के नियम 10 के तहत आवश्यक व्यावसायिक संबंध समाप्त होने के बाद कम से कम पांच साल तक ठीक से संरक्षित हैं। पहचान रिकॉर्ड और लेनदेन डेटा अनुरोध पर सक्षम अधिकारियों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

4 वित्तीय खुफिया इकाई को रिपोर्ट करना - भारत

पीएमएलए नियमों के अनुसार, कंपनी नकद और संदिग्ध लेनदेन से संबंधित जानकारी और गैर-लाभकारी संगठनों द्वारा दस लाख रुपये से अधिक मूल्य या विदेशी मुद्रा में इसके समकक्ष रसीदों से संबंधित सभी लेनदेन की सूचना निम्नलिखित पते पर नियम 3 में निर्दिष्ट लेनदेन के संबंध में निदेशक, वित्तीय खुफिया इकाई- भारत (एफआईयू-आईएनडी) को देगी:

**निदेशक, एफआईयू-आईएनडी,
फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट-इंडिया,
6वीं मंजिल, होटल सम्राट, चाणक्यपुरी,
नई दिल्ली -110021
वेबसाइट - <http://fiuindia.gov.in/>**

ग्राहक शिक्षा/कर्मचारी प्रशिक्षण/कर्मचारी की भर्ती

i. ग्राहक शिक्षा

कंपनी ग्राहकों के बीच केवाईसी, मनी लॉन्ड्रिंग रोधी उपायों और उनके पीछे के औचित्य के बारे में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता को पहचानती है और इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त कदम उठाएगी।

ग्राहकों के साथ व्यवहार करते समय ऐसी स्थितियों को संभालने के लिए फ्रंट डेस्क कर्मचारियों को विशेष रूप से प्रशिक्षित करने की आवश्यकता होती है।

ii. कर्मचारियों का प्रशिक्षण

कंपनी के पास एक चल रहे कर्मचारी प्रशिक्षण कार्यक्रम होना चाहिए ताकि कर्मचारियों के सदस्यों को केवाईसी प्रक्रियाओं में पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित किया जा सके। फ्रंटलाइन स्टाफ, अनुपालन स्टाफ और नए ग्राहकों से निपटने वाले कर्मचारियों के लिए आवश्यकताओं में अलग-अलग फोकस हैं। यह महत्वपूर्ण है कि सभी संबंधित लोग केवाईसी नीतियों के पीछे के तर्क को पूरी तरह से समझें और उन्हें लगातार लागू करें।

iii. प्रधान अधिकारी की नियुक्ति:

कंपनी एक कंपनी सचिव को 'प्रधान अधिकारी' (पीओ) के रूप में नामित करेगी जो कॉर्पोरेट कार्यालय में स्थित होगा और सभी लेनदेन की निगरानी और रिपोर्टिंग और कानून के तहत आवश्यक जानकारी साझा करने के लिए जिम्मेदार होगा। हालांकि, कंपनी सचिव की अनुपस्थिति में, कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी को कंपनी के प्रमुख अधिकारी के रूप में माना जाएगा जब तक कि कंपनी सचिव की नियुक्ति नहीं की जाती है। प्रधान अधिकारी का नाम, पदनाम और पता एफआईयू-आईएनडी को सूचित किया जाएगा।

iv. नामित निदेशक की नियुक्ति:

निदेशक मंडल पीएमएलए द्वारा निर्धारित दायित्वों और उसके तहत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक "नामित निदेशक" को नामित करेगा। "नामित निदेशक" एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो वरिष्ठ प्रबंधन या समकक्ष का पद धारण करता है। तदनुसार, कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को कंपनी के बोर्ड द्वारा नामित निदेशक के रूप में नामित किया जाएगा। हालांकि, मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अनुपस्थिति में, कंपनी के प्रबंध निदेशक को कंपनी के नामित निदेशक के रूप में माना जाएगा जब तक कि एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त नहीं किया जाता है। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रधान अधिकारी को "नामित निदेशक" के रूप में नामित नहीं किया गया है। नामित निदेशक का नाम, पदनाम और पता एफआईयू-आईएनडी को सूचित किया जाएगा।